

प्रेस नोट संख्या 32

दिनांक- 17.09.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु०अ०सं० 40/2018 धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना फुरसतगंज के अभियुक्त शिवगणेश पुत्र राम अचलपाल निवासी गनेश राम का पुरवा मजरे निगोहा थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय स्पे०जज पाक्सो प्रथम रायबरेली द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 17.09.2024 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

प्रश्रुगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 05.04.2018 समय 19.37 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने की तहरीर पर मु०अ०सं० 40/2018 धार 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना फुरसतगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ०निरी० श्री अनिल कुमार द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्या: ए-41 दिनांक 05.05.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।